



ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066
वेबसाइट: www.beeindia.gov.in दूरभाष: 011-26766700



ध्यान दें: 13 अधिसूचित क्षेत्रों के ऊर्जा प्रयोक्ता

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) के अंतर्गत ऊर्जा खपत की स्थिति पर रिपोर्ट की प्रस्तुति

निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों में ऊर्जा के सभी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता श्रेणियां जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निम्नलिखित ऊर्जा गहन क्षेत्रों के सामने विनिर्दिष्ट सीमा तक और उससे अधिक है, को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ड.) के अंतर्गत का.आ. 394 (अ.) दिनांक 12 मार्च, 2007, का.आ. 3542 (अ.) दिनांक 29 दिसंबर, 2015, का.आ. 1388 (अ.) दिनांक 02 मई, 2017 और का.आ. 502147(अ.) दिनांक 17 जून, 2020 द्वारा नामित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

क्र. सं.	अधिसूचित क्षेत्र	मीट्रिक टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) प्रति वर्ष ऊर्जा की न्यूनतम खपत
1.	एल्यूमिनियम	7,500
2.	सीमेंट	
	(क) एकीकृत सीमेंट यूनिट	30,000
	(ख) सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट	10,000
3.	वाणिज्यिक भवन या स्थापनाएं	
	(क) होटल	500
	(ख) हवाई अड्डा	500
4.	क्लोर-अल्कली	12,000
5.	विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम)*	*
6.	उर्वरक	30,000
7.	लौह और इस्पात	20,000
8.	लुगदी और कागज	20,000
9.	पेट्रोलियम रिफाइनरियां	90,000
10.	पेट्रोरसायन यूनिटें जिनमें गैस क्रैकर या नेफथा क्रैकर या दोनों शामिल हों	1,00,000
11.	रेलवे	
	(क) सभी जोनल रेलवे (ट्रेक्शन)	70,000
	(ख) कार्यशालाएं	750
	(ग) रेलवे की 8 उत्पादन फैक्टरियां नामतः आईसीएफ, आरसीएफ, सीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू डीसीडब्ल्यू, आरडब्ल्यूएफ, एमसीएफ और आरडब्ल्यूपी	-
12.	वस्त्र	3,000
13.	थर्मल पॉवर स्टेशन	30,000

*राज्य / संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के तहत जिन कंपनियों को वितरण लाइसेंस जारी किए गए हैं, को दिनांक 28.09.2020 के का.आ. 3445(अ.) के द्वारा नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा का.आ. 687(अ.) दिनांक 30 मार्च, 2012, का.आ. 1264(अ.) दिनांक 31 मार्च, 2016 और का.आ. 998(अ.) दिनांक 30 मार्च, 2017, का.आ. 1409(अ.) दिनांक 28 मार्च, 2018, का.आ. 1473(अ.) दिनांक 29 मार्च, 2019, का.आ. 1254(अ.) दिनांक 13 अप्रैल, 2020 द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रारंभिक ऊर्जा खपत से अधिक खपत करने वाली सभी इकाइयों/प्रतिष्ठानों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) की धारा 14 के खंड (1) के तहत अधिसूचित फॉर्म 1 में ऊर्जा प्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले दो वर्षों अर्थात् 2018-19 और 2019-20 के उनके वार्षिक उत्पादन के साथ वार्षिक ऊर्जा खपत की स्थिति पर एक रिपोर्ट संबंधित नामित एजेंसी को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है जिसकी एक प्रति ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को भी दी जाए।

अपेक्षित क्षेत्र से संबंधित प्रोफार्मा या प्रपत्र-। की प्रति बीईई की वेबसाइट: <https://beeindia.gov.in/content/pat-performa> से भी डाउनलोड की जा सकती है।

यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त, 2021 तक वार्षिक खपत आदि की स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के खंड 26 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिक जानकारी/पूछताछ के लिए कृपया हमसे 011-26766700 पर संपर्क करें या newdc@beenet.in पर मेल भेजें।

मिशन निदेशक
एनएमईईई